न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्योराम आर.ए.एस.

राजस्व वादपत्र संख्या :– 32/2021

1. अजमत पुत्री श्यारे खां जाति मुसलमान निवासी 2 बीआरडब्ल्यूएम हाल आबाद चक 8 केजेडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

..... वादीया

बनाम

1. कालू खां पुत्र श्यारे खां जाति मुसलमान निवासी मदरसा के पास खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
2. भुरे खां पुत्र श्यारे खां जाति मुसलमान निवासी मदरसा के पास खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
3. मुन्नी पुत्री श्यारे खां पत्नी मुसे खां जाति मुसलमान निवासी मदरसा के पास खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।
4. राजस्थान सरकार जरिये राजस्व तहसीलदार खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभाषकगण :–

1. श्री जयवीरसिंह तंवर अधिवक्ता वादीया की ओर से।
2. श्री ईमीचन्द गोदारा, ईमाम खां दईया अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 की ओर से।
3. पैरोकारराज उपस्थित

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट

–: निर्णय :– दिनांक :– 07.07.2022

यह वादपत्र वादीया की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट. में प्रस्तुत किया है। वादपत्र से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि वादीया व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 के पिता स्व0 श्री श्यारे खां के नाम से तहसील खाजूवाला के चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/55 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18 कमाण्ड व किला नं0 22 ता 25 अनकमाण्ड कुल 14.00 बीघा क./अ.क. व चक 2 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/56 के किला नं0 2, 3 अनकमाण्ड 4, 5 कमाण्ड कुल 4.00 बीघा क./अ.क. व मु0 नं0 121/63 के किला नं0 1, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 11.00 बीघा कमाण्ड व मु0 नं0 121/64 के किला नं0 1 कमाण्ड इस प्रकार कुल 30.00 बीघा क./अ.क. कृषि भूमि [illegible] में [illegible] थी। जिसमें से 24.00 बीघा कमाण्ड व 6.00 बीघा अनकमाण्ड है। वादि[illegible] व [illegible]वादी सं0 1 ता 3 के पिता की मृत्यु दिनांक 19.12.2016 को [illegible] की [illegible] होने के बाद विरास्तन इंतकाल संयुक्त रूप से चार भाई–बहन [illegible] व [illegible]वादी सं0 1 ता 3 के [illegible] से दर्ज हुआ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:54 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त भूमि सभी संयुक्त रूप से हिस्से ठेके पर देते आ रहे थे। 2020 में सभी ने उपरोक्त भूमि को भूरे खां को काश्त करने हेतु दे दी तो उसने मुझ वादिया को मेरे पिछले वर्ष के ठेके हिस्से के रूपये नहीं दिये व ना ही खरीफ व रबी की फसल के पैदावार का कोई हिस्सा दिया तथा वह वादिया को दिनांक 03.03.2021 को धमकाने लगा कि तुम इस जमीन में क्या मांगते हो अगर तुम्हे हक हिस्सा लेना है तो तुम अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजन करवा लो व लगान अलग–अलग से अदा करो वरना मैं इस भूमि को तुम्हारी जगह किसी अन्य औरत को खड़ी करके व फोटो चस्पा करके आगे मेरे नाम से रिलिज डिड व गिफ्ट डिड करवा लूंगा, बाद में तुमको जो करना है सो कर लेना। अतः वादिया द्वारा निवेदन किया गया कि उपरोक्त भूमि वादिया एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 की पुश्तेनी भूमि है। हम सभी संयुक्त रूप से उक्त भूमि पर बाई बर्थ अधिकार रखते हैं तथा हमारा जन्म से ही (प्रत्येक व्यक्ति का) इस भूमि पर हक एवं हिस्सा निहित है। तथा राजस्व रिकार्ड में भी उक्त भूमि हम चारों भाई–बहनों के नाम से दर्ज है। इस कारण वादिया उक्त भूमि में अपने 1/4 हिस्से का बंटवारा करवाने की अधीकारी है तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 का भी प्रत्येक का 1/4 हिस्सा निहित है। वादीया ने अपने 1/4 हिस्सा यानि कि 7.10 बीघा भूमि को खाता विभाजन कर अलग से अपना नाम दर्ज करवाकर लगान अदा करने हेतु निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी हेतु जरिये रजि0ए0डी0 नोटिस जारी होने पर दिनांक 30.06.2022 को प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री ईमाम खां दईया व इमीचन्द गोदारा द्वारा इकबाली जवाब दावा दिनांक 30.06.2022 को पेश किया गया कि हमारे संयुक्त खाते की उपरोक्त कृषि भूमि तह0 खाजूवाला के चक 1 बीआरडब्ल्यूएम का मुरब्बा नं0 121/55 की 14.00 बीघा यानि 3. 5406 है0 , चक 2 बीआरडब्ल्यूएम (ए) पटवार हल्का कुण्डल का मु0न0 121/56 की 4.00 बीघा यानि .5058 है0, मुरब्बा नं0 121/63 की 11.00 बीघा यानि की 2.7819 है0, मुरब्बा नं0 121/64 का किला नं0 1 में 1.00 बीघा यानि 0.2529 है0 कुल चारों मुरब्बों में 30.00 बीघा यानि 7.0587 है0 कृषि भूमि हम सभी सहिस्सेदारान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है उसमें मुताबिक घरेलु समझोते व बंटवारे में वादीया के हिस्से में चक 1 बीआरडब्ल्यूएम मुरब्बा नं0 121/55 का किला नं0 4, 7, 13, 16 ता 18 कुल 6.00 बीघा यानि 1.5174 है0 कमाण्ड, किला 22 की 1.00 बीघा अनकमाण्ड यानि 0.2529 है0 अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 7.00 बीघा यानि 1.7703 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड अपने नाम से खाता विभाजन करवाकर अपने नाम से राजस्व रिकॉर्ड में अलग से इन्द्राज करवाती है व अलग से लगान अदा करती है तो हमकों कोई उज्र व ऐतराज नहीं । बहस उभयपक्ष सुनी गई।

अदालत द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो (प्रदर्श) पर अध्ययन व बहस पर मनन करने से निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादीया के वाद वादपत्र के कथनों व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब अनुसार स्वीकार के काबिल पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:54 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादीया का वाद वादपत्र के कथनों व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की ओर से प्रस्तुत इकबालिया जवाब अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा वादगत भूमि चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/55 के किला नं0 4 ता 7, 13 ता 18 कमाण्ड व किला नं0 22 ता 25 अनकमाण्ड कुल 14.00 बीघा क./अ.क. व चक 2 बीआरडब्ल्यूएम के मु0 नं0 121/56 के किला नं0 2, 3 अनकमाण्ड 4, 5 कमाण्ड कुल 4.00 बीघा क./अ.क. व मु0 नं0 121/63 के किला नं0 1, 8 ता 13, 19 ता 22 कुल 11.00 बीघा कमाण्ड व मु0 नं0 121/64 के किला नं0 1 कमाण्ड इस प्रकार कुल 30.00 बीघा क./अ.क. यानि 7.0587 है0 कृषि भूमि में से वादीया के हिस्सा की भूमि चक 1 बीआरडब्ल्यूएम मुरब्बा नं0 121/55 का किला नं0 4, 7, 13, 16 ता 18 कुल 6.00 बीघा यानि 1.5174 है0 कमाण्ड, किला 22 की 1.00 बीघा अनकमाण्ड यानि 0.2529 है0 अनकमाण्ड इसप्रकार कुल 7.00 बीघा यानि 1.7703 है0 कमाण्ड/अनकमाण्ड अलग–अलग राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार खाजूवाला को दिये जाते है। उक्त बंटवारा के अनुसार तहसीलदार खाजूवाला वादगत भूमि के नक्शा, लगान का हिस्सा अलग–अलग दर्ज करें, तदानुसार डिक्री जारी होकर पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक .... को सरे इजलास सुनाया गया।

(श्योराम),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.11.23 14:03:54 IST
Reason: SelfAttested